

(12)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)

R. 5156-छे/15

टिकर उपलब्ध नहीं
होने पर यस्या भी
जावेगी

संगमलाल तनय महावीर, उम्र- 67 वर्ष, पेशा- व्यापार निवासी ग्राम खटखरी, तह० हनुमना जिला रीवा (म०प्र०)निगरानीकर्ता

बनाम

1. उर्मिला पुत्री स्व० रामचन्द्र पति स्व० श्यामलाल उम्र-55 वर्ष, पेशा घरू कार्य, निवासी ग्राम खटखरी, तह० हनुमना जिला रीवा (म०प्र०)
2. विवेक वर्मा तनय श्री रामस्वरूप वर्मा उम्र-35 वर्ष, पेशा खेती व व्यापार निवासी उर्रहट, रीवा तह० हुजूर जिला रीवा (म०प्र०)
3. काशी प्रसाद कुशवाहा तनय स्व० सूर्यदीन कुशवाहा, उम्र- 48 वर्ष पेशा खेती, निवासी ग्राम देवरा/खटखरी, तह० हनुमना जिला रीवा (म०प्र०)

.....गैर निगरानीकर्ता गण

श्री विवेक कुमार वर्मा
व्यापक पेशा/ 9-11-15
कलकत्ता कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश माननीय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्र.क. 388/अपील/14-15 आदेश दिनांक 27.06.15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य संक्षेप में निम्न हैं:-

यह कि मौजा खटखरी अन्तर्गत स्थित भूमि नं० 418 रकवा 0.482 हे०, 419 रकवा 0.053 हे०, 420 रकवा 0.020 हे०, 506 रकवा 0.137 हे०, 507/1 रकवा 0.123 हे०, 508 रकवा 0.050 हे० कुल कित्ता 6 विक्रीशुदा रकवा 0.0875 हे० जो कि निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता क. 1 की पैतृक संपत्ति है किन्तु उक्त भूमियों का स्वत्व का निराकरण आज दिनांक तक कई न्यायालयों में विचाराधीन है जिसके चलते सारी भूमियां आज दिनांक तक निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता क. 1 व अन्य परिवार के कई लोगों के नाम राजस्व अभिलेखों में संयुक्त खाते के रूप में दर्ज हैं, अतः उक्त गैर निगरानीकर्ता क. 1 ने उक्त भूमियों को अनाधिकत

M

R-5156 दो 115 सीका

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभार आदि के हस्ताक्षर
<p>20-1-16</p> <p>(10)</p>	<p>1- आवेदक अभिभाषक श्री विवेक कुमार शर्मा (एड. उपनधी है)</p> <p>2- लपपाभाव के कारण सुनवाई नहीं की जा सकी।</p> <p>3- वास्ते कापसी पर लम्बा पेशी जारी 21-4-16</p> <p>आवा से</p>	<p>श्री प्रकलाप लाल</p> <p>M.P. 21/4/16</p> <p>(वास्ते आवेदक)</p>
<p>21-4-16</p> <p>(14)</p>	<p>... आवेदक अभिभाषक श्री विवेक कुमार शर्मा</p> <p>2. मानवीय तबस्य म... का रीखा आगमन नहीं हो सका</p> <p>3. वास्ते कापसी पर लम्बा पेशी जारी... 12-5-16</p> <p>आवा से</p> <p>राजस्व मण्डल म... काधिकार</p> <p>सर्चिट कोर्ट रिज</p> <p>अभापस सचिवद्वारा के तर्क सुने प्रकरण आदेशार्थी।</p> <p>सदस्य</p>	<p>12/5/16</p>
<p>14-7-16</p>	<p>प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के कापसी पर सुना गया। प्रकरण में प्रथम दूर या आवेदक अधिवक्ता विजयारानी सेमी में सौंकिर तत्वों के प्रकाशित करने में असफल रहे हैं।</p> <p>अतः प्रकरण में आदेश कापसी पर एवं समुचित साधारण न होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p>सदस्य</p>	